नामांतरकरण प्रपत्र (प-21)

ग्राम :ढाकाकीढाणी	पटवार मण्डल :ढाणियां नवलगढ	भू.अ.नि.वृत:नवलगढ	तहसील:नवलगढ़	जिला:झूंझुनू

नामांतरकरण का प्रकार : सर्मपण	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :986 19/05/2026	संवत तथा ढाल बांछ की क्रम संख्या:2075-2078
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :		नामांतरकरण शुल्क :20 शास्ति : 0

सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि

खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम
1	2	3	4	5	6
220	597/120	1.2200	बारानी 1	11.32	1.) M/S SHRINATH REALITIES NAWALGARH हिस्सा- पूर्ण खातेदार
खाता : 220	**कुल खसरे : 1**	**कुल क्षेत्रफल : 1.2200**			**कुल काश्तकार : 1**
271	123	0.9800	बारानी 1	9.09	1.) मेसर्स श्रीनाथ रेअलिटीज़ नवलगढ़ जरिये नरेश चन्द्र पूनिया पुत्र दया चन्द पूनिया हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट मकान संख्या- B-7, कॉलोनी- हरी नगर , क्षेत्र/स्थान- शास्त्री नगर , शहर- जयपुर , पिन कोड- 302016, ज़िला - JAIPUR,राज्य- RAJASTHAN खातेदार --बदस्तूर खसरा--
खाता : 271	**कुल खसरे : 2**	**कुल क्षेत्रफल : 1.9339**			**कुल काश्तकार : 1**

जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि

खाता संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान
7	8	9	10	11	12
271	1.) मेसर्स श्रीनाथ रेअलिटीज़ नवलगढ़ जरिये नरेश चन्द्र पूनिया पुत्र दया चन्द पूनिया हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट मकान संख्या- B-7, कॉलोनी- हरी नगर , क्षेत्र/स्थान- शास्त्री नगर , शहर- जयपुर , पिन कोड- 302016, ज़िला - JAIPUR,राज्य- RAJASTHAN खातेदार --बदस्तूर खसरा--	604/123	0.2450	बारानी 1	2.27
खाता : 271	**कुल काश्तकार : 1**	**कुल खसरे : 2**			**कुल क्षेत्रफल: 1.1989**
273	1.) नगरपालिका नवलगढ	597/120	1.2200	आवासीय प्रयोजन	0.00
	हिस्सा- पूर्ण स्थानीय निकाय नगर पालिका	603/123	0.7350	आवासीय प्रयोजन	0.00
खाता : 273	**कुल काश्तकार : 1**	**कुल खसरे : 2**			**कुल क्षेत्रफल: 1.9550**

खातों का विवरण:-

खाता : 220	**कुल खसरे : 1**	**कुल क्षेत्रफल : 1.2200**	**कुल काश्तकार : 1**	**खाता : 271**	**कुल काश्तकार : 1**	**कुल खसरे : 2**	**कुल क्षेत्रफल : 1.1989**
खाता : 271	**कुल खसरे : 2**	**कुल क्षेत्रफल : 1.9339**	**कुल काश्तकार : 1**	**खाता : 273**	**कुल काश्तकार : 1**	**कुल खसरे : 2**	**कुल क्षेत्रफल : 1.9550**

पटवारी की रिपोर्ट :श्रीमानजी मुताबिक समर्पण पत्र व आदेश के अनुसार नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

पटवारी का नाम MAHESH KUMAR
दिनांक 20-05-2026 08:10:22

NAGAR PALIKA, NAWALGARH
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

क्रमांकः LSGCLU90A/2026-27/109438 दिनांकः 13/05/2026

विषयः – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्री **NARESH CHANDER PUNIA** पुत्र श्री **DAYA CHAND PUNIA** जाति **JAAT**

1. ऊपर नामित आवदेक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम, तहसील	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1.	DHAKA KI DHANI, DHAKA KI DHANI	M/S SHRINATH REALITIES NAWALGARH	123	7350
2.	DHAKA KI DHANI, DHAKA KI DHANI	M/S SHRINATH REALITIES NAWALGARH	597/120	12200
			कुल	**19550**

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की –मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

3. यह कि मैने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजो/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियो को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमो या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।

6. इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तो की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **13-05-2026** को पारित किया गया है।

Digitally Signed by LOKENDRA SINGH SHEKHAWAT
Designation : EO/ COMMISSIONER
Date: 2026.05.13 16:03:57 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN

नोटः यह एक डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र है और इसके लिए किसी भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

दूरभाष : 01594–222040
कार्यालय नगर पालिका मण्डल नवलगढ़ (झुन्झुनूं)
रेलवे स्टेशन रोड, प्रेमप्रकाश टॉकीज के पास नवलगढ़ कार्यालय e-mail–navalgarh.jaipur@gmail.com

क्रमांक: न.पा.न./2026–27/ 37 दिनांक: 20/05/2026

–:संशोधन–पत्र:–

नगरपालिका स्तरीय ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 22.05.2026 में अनुमोदित ले–आउट प्लान खसरा नम्बर 597/120, 603/123 कुल रकबा 1.9550 हैक्टेयर, योजना श्रीनाथ एनक्लेव फैज–E के संबंध में जारी 90ए आदेश क्रमांक LSGCLU90A/2026-27/109438 दिनांक 13.05.2026 में विकासकर्ता फर्म का नाम सवहन से श्री नरेश चन्द्र पुनिया पुत्र श्री दयाचन्द पुनिया लिखा गया था जो मैसर्स श्रीनाथ रीयलिटीज नवलगढ जरिये पार्टनर नरेश चन्द्र पुनिया पुत्र श्री दयाचन्द पुनिया, निवासी–बी7, हरी नगर शास्त्री नगर, जयपुर पढ़ा जावे।

(लोकेन्द्र सिंह शेखावत)
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका नवलगढ़